हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या: यू0डी.ए.(3)-2/2020 तारीख शिमला-02 9-3-2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहां अपेक्षित हो, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्या यू.डी.-ए.(3)-7/2011 तारीख 23.03.2012 को अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24.03.2012 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम	1	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2022 है।
नियम 10 का संशोधन	2	हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 10 के उप नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- " **9.** इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्थानों(सीटों) के आरक्षण का रोस्टर, उपरोक्त नियमों के प्रारम्भ या नए नगर निगम के गठन या नगर निगम में वार्डों के परिसीमन, जो भी बाद में हो, के पश्चात् आयोजित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए आरम्भिक प्रक्रम से ऐसे प्रवर्तित होगा मानो उक्त निर्वाचन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हो, और तत्पश्चात् इस नियम के अधीन स्थानों का आरक्षण निगम के विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।
नियम 14 का संशोधन	3	उक्त नियमों के नियम 14 में उप नियम (1) के अधीन दोनों परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यह कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र को यथासंशोधित वर्तमान निर्वाचक नामावली को इन नियमों के अधीन निर्वाचनों के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।"।

नियम 16 का संशोधन	4	उक्त नियमों के नियम 16 में, उप नियम(1) के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- " (च) यथास्थिति, उसी नगर निगम या किसी अन्य नगर निगम या किसी अन्य नगरपालिका या ग्राम सभा या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य वार्ड में जिसका नगर निगम भाग नहीं है, में निर्वाचक के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है।"।
नियम-26 का संशोधन	5	उक्त नियमों के नियम 26 के उप नियम(3) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यदि आवेदक, जिसका नाम सम्मिलित करने का आदेश दिया गया है, पहले ही उसी नगर निगम या किसी अन्य नगर निगम या किसी नगरपालिका या ग्राम सभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका नगर निगम भाग नहीं है, के किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो ऐसा नाम उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाएगा ।"।
प्रारूप-4 का संशोधन	6	उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-4 के खंड(v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- " (v) मेरा नाम ऊपर वर्णित किसी भी नगर निगम या, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन गठित किसी अन्य नगर निगम या नगरपालिका या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , 1994 के अधीन गठित ग्राम सभा या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , जिसका नगर निगम भाग नहीं है, के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में संम्मिलित नहीं किया गया है। या मेरा नाम............... वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली में निम्नलिखित पते पर सम्मिलित किया गया है और मैं अनुरोध करता हूँ कि उसे निर्वाचक नामावली से निकाल दिया जाए।"।

आदेश द्वारा
(देवेश कुमार)
प्रधान सचिव(शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि तारीख शिमला-02, 9-3-2022

प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव , माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी-सह प्रधान सचिव(विधि/कानून) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
3. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ।
4. सचिव निर्वाचन आयोग सरकार शिमला। हिमाचल प्रदेश ,
5. सचिव, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश
6. वरिष्ठ विशेष निजी सचिव , माननीय शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश ।
7. निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश ।
8. सभी उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
9. हिमाचल प्रदेश के नगर निगम शिमला, धर्मशाला, मण्डी , सोलन और पालमपुर के आयुक्त।
10. सभी शहरी स्थानीय निकाय /सचिव/हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकारी अधिकारी ,
11. गार्ड फाइल

विशेष सचिव(शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notification No. UD-A(3)-2/2020, dated 9th March, 2022 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Urban Development Department

No. UD-A(3)-2/2020 **Dated: Shimla-2,** 9-3- **, 2022**

Notification

In exercise of the powers conferred by section 31 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994(Act No. 12 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the State Election Commission wherever requires, makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 notified vide Notification No. UD-A(3)-7/2011, dated 23.03.2012 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 24.03.2012, namely:-

1. **Short title,-** These Rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2022.

2. **Amendment of Rule 10,-** In rule 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 hereinafter referred to as the "said rules", for sub rule-9, the following shall be substituted, namely:-

   "9. Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of seats shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the above rules or constitution of a new Municipal Corporation or the delimitation of wards in a Municipal Corporation, whichever is later, as if said elections are being conducted for the first time and thereafter, the reservation of seats shall be rotated to different wards of corporation under this rule".

3. **Amendment of Rule 14,-** In rule 14 of the said rules, for both the proviso(s) under sub rule-1 the following shall be substituted namely :-

   "Provided that the current electoral rolls of the Assembly constituency as revised by Election Commission of India shall be used for the preparation of draft Electoral rolls for the elections under these rules".

Contd. Pg./-2

4. **Amendment of Rule, 16,-** In rule 16 of the said rules, in sub rule-1, for the clause(f) the following shall be substituted, namely:-

"(f) is already registered as an elector in any other ward of the same Municipal Corporation or any other Municipal Corporation or any other municipality or Gram Sabha or Legislative Assembly constituency of which Municipal Corporation is not a part as the case may be."

5. **Amendment of Rule, 26,-** In Rule 26 of the said rules, in sub rule-3, for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that if the applicant, whose name is ordered to be included, is already registered in the electoral roll of any other ward of the same Municipal Corporation or any other Municipal Corporation or any municipality or Gram Sabha or Legislative Assembly constituency of which the Municipal Corporation is not a part, such name shall be deleted from that electoral roll ".

6. **Amendment of Form-4 ,-** In Form-4 appended to the said rules, for the clause (v) the following shall be substituted namely :-

"(v) My name has not been included in the electoral roll for any ward of the above mentioned Municipal Corporation or any other Municipal Corporation or Municipality constituted under the H.P. Municipal Act, 1994 or Gram Sabha constituted under the H.P. Panchayati Raj Act,1994, or an Assembly Constituency of which above mentioned Municipal Corporation is not a part, as the case may be.

OR

That my name has been included in the electoral roll for the ____________________ ward under the address mentioned below and I request that the same may be excluded from the electoral roll.

By Order,

Devesh Kumar,
Principal Secretary (UD) to the
Government of Himachal Pradesh

Contd. Pg./-3

Endst. No. As Above Dated, Shimla-171002, the 9-3- ,2022

Copy forwarded to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The LR-cum-Principal Secretary(Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
3. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
4. The Secretary, State Election Commission, HP, Shimla-2.
5. The Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla-171004.
6. The Sr. Spl. Pvt. Secretary to the Hon'ble UD Minister, Shimla-2.
7. The Director, Urban Development, HP, Shimla-2.
8. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
9. All ULBs in Himachal Pradesh

(Ashwani Raj Shah)
Special Secretary (UD) to the
Govt. of Himachal Pradesh.